


## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 12/2008-21


बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
24/3/19	<p style="text-align: center;">झारखंड सरकार के आदेश फलक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० न० नि०-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजबूत खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत् है-</p> <p>मौजा- <u>कोलिसन</u> मौजा न०- <u>12</u> खाता न०- <u>142</u></p> <p>प्लॉट न०- <u>63</u> रकबा <u>2 रु० 52</u> की भूमि जो गैरमजबूत खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के फंजी-11 के जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ संख्या <u>2217</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमती जयश्री देवी, पत्नी-मिर्जिते देवी वर्मा</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोठकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का हित कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>24/19</u> को रखे।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               धनबाद।         </div>	

9/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मातव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 20/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

22/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहरस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 21/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मातव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक  
29/6/20 को रखें।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


28/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा  
कोलाकुआ मीजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट  
नं० 63 रकबा 2933 भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत  
के खोज वीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० ..... (.....) के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहारपद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया।

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

बाद अभिलेख संख्या- \_\_\_\_\_ / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- सीलाउरवा थाना नं०- 12  
खाता नं०- 142 खेसरा नं०- 63 रकबा- 2538 से संबंधित आपके नाम से  
ह० नं०- 0 के पंजी- II भाग 17 के पृष्ठ 3218 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जौचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- \_\_\_\_\_ को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए  
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4136

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री गरी जमाबंदी  
वर्ग श्री गरी जमाबंदी प्रसाद कारिका  
ला खोवर्डी

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>श्री गरी</u>	<u>12</u>	<u>142</u>	<u>63</u>	<u>2.00</u>

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ..... 47 ..... पृष्ठ सं० ..... 3217 पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 1966-67

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आबाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दा० खा० मु० सं० ..... 1804(11)  
1966-67 जमाबंदी/ग. 332, 333 से आया

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री गरी जमाबंदी

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा हुक्मनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -  
31-04-1956 (11) 79-80 जमाबंदी 166 से आया) -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा  
 दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>1981199</u>	<u>6-12-06</u>	<u>06-07</u>
<u>2</u>	<u>6083150</u>	<u>8-2-11</u>	<u>10-11</u>